

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccf-kanker.cg@gov.in



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.26/2019/310

कांकेर, दिनांक/16/01/2019

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल,

जिला-कोण्डागांव

विषय:-

Diversion of Forest land non-Forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Kendriya Vidhayalaya Area 4.00 ha. regarding.

Online Registrarion No. FP/CG/SCH/32243/2018

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-735/53 दिनांक 05.01.2019



विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको सीधे लेख किया गया है। आवेदकनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक पी-794 में से रकबा 4.00 हे. वन भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत के दिशा-निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ मा.चि./न.क्र.26/2859 दिनांक 16.11.2018 द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल अधिकारी कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार अतिरिक्त जानकारी की चाही गई है :-

01. उक्त प्रस्ताव के कलेक्टर कोण्डागांव का केन्द्रीय विद्यालय हेतु गैर वन भूमि की अनुउपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
02. प्रकरण स्थल विशेष का नहीं होने पर तीन विकल्प का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है। तीन विकल्पों का तुलनात्मक विवरण मानचित्र में दर्शाकर संलग्न किया जावे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण के प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.26/2019/311

कांकेर, दिनांक/16/01/2019

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं की चाही गई अतिरिक्त जानकारी तैयार कर वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर